श्रीमती मंजूरी बेड़ा

बनाम

दा ऑरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि. व अन्य

30 मार्च, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और एस. एच. कपाडिया, न्यायाधिपतिगण]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988; धारा 140, 166 और 168/पश्चिम बंगाल मोटर वाहन नियम, 1989/सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 2 (11)।

मोटर वाहन दुर्घटना-मृत्यु-क्लेम याचिका-विधिक प्रतिनिधि जो मृतक पर निर्भर नहीं है-अधिकार-अभिनिर्धारितः वाहनों से दुर्घटना के मामले में, मृतक के सभी/कोई भी विधिक प्रतिनिधि मुआवजे का दावा करने के हकदार है-उनमें से कोई भी क्लेम याचिका दायर कर सकता है- अधिनिमय की धारा 140 के प्रावधान के संबंध में दायित्व केवल निर्भरता के अभाव के कारण समाप्त नहीं होता है, क्लेम दायर करने के अधिकार पर हक के अधिकार के परिप्रेक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए-भले ही आश्रिता का कोई नुकसान न हो, दावेदार/विधिक प्रतिनिधि मुआवजे का हकदार होगा।

शब्द और वाक्यांशः

'विधिक प्रतिनिधि-अर्थ एवं विस्तार - धारा 2 ((11) सी. पी. सी. के संबंध में- विचार किया गया।

अपीलार्थी के पिता की प्रतिवादी नंबर 2 के एक मिनी ट्रक के कारण हुई वाहन दुर्घटना में जान चली गई। चूंकि मृतक का कोई अन्य विधिक उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसकी विवाहित बेटी द्वारा धारा 140 (2) मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक क्लेम याचिका दायर की गई थी। प्रत्यर्थी सं. 01 बीमाकर्ता के साथ दुर्घटनाग्रस्त वाहन के बीमा का विषय था, ने यह कथन करते हुए एक लिखित कथन दायर किया कि चूंकि दावेदार मृतक पर निर्भर नहीं था, इसलिए किसी भी मुआवजे का भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं था। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमाकर्ता के उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए क्लेम याचिका को खारिज कर दिया। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए एक अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में यह अभिनिर्धारित किया कि अपील गुणावगुण पर नहीं है, इसलिए वर्तमान अपील को खारिज कर दिया गया।

न्यायमित्र ने कथन किया कि न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अत्यधिक तकनीकी है कि यद्यपि भले ही

कोई निर्भरता न हो, संम्पदा और एक ऐसे व्यक्ति को नुकसान होता है, जो एक विधिक प्रतिनिधि है, किन्तु वह आश्रित नहीं है, जो संपदा का लाभार्थी हो सकता है। इसलिए, एक यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित;

1.1 . अभिव्यक्ति ''विधिक प्रतिनिधि" को मोटर वाहन अधिनियम या पश्चिम बंगाल मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, इस खंड के संदर्भ में उसका व्यापक अर्थ धारा 2 (11) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (पैरा 5) (592 जी.एच., 593-ए) के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

1.2 . अधिनियम की धारा 166 के उप-धारा (1) के खंड (सी) के संदर्भ में मृत्यु के मामले में, मृतक के सभी या कोई भी विधिक प्रतिनिधि मुआवजे के हकदार हो जाते हैं और ऐसा कोई भी विधिक प्रतिनिधि क्लेम याचिका दायर कर सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण न्यायोचित था कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 166 के संदर्भ में एक क्लेम याचिका को बनाए रख सकता है। [पैरा 9] [594-सी-ई]

1.3 . सी. पी. सी. की धारा 2 (11) के अनुसार, 'विधिक प्रतिनिधि' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि

से प्रतिनिधित्व करता है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जो मृतक की संपदा में दखल-अंदाजी करता है और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधिक रूप में वाद लाता है या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि के रूप में वाद लाया जाता है, वहां वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है, जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होती है, जो इस प्रकार वाद लाया है और जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है। (पैरा 12, (595-डी-ई)

बी. ए. एन. सी. ओ. राष्ट्रीय अल्ट्रामेरिनो की शाखाओं के संरक्षक बनाम नलिनी बाई नाइक, (एआईआर 1989) एस.सी. 1589, और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम रमनभाई प्रभाभाई और अन्य, ए. आई. आर. (1987) एस. सी. 1690, पर आधारित ।

1.4 . हक के प्रश्न का आकलन करते समय तीन चरण होते हैं। प्रथम चरण में, उस व्यक्ति का दायित्व जो उत्तरदायी है और उस व्यक्ति का दायित्व जो दायित्व की क्षतिपूर्ति करना है, यदि कोई हो। अगला परिमाणीकरण है और धारा 166 मुख्य रूप से वसूली कार्यवाही की प्रकृति में है। [पैरा 14] [596-ए-बी]

1.5 . एक विधिक प्रतिनिधि जो आश्रित नहीं है द्वारा यदि मुआवजा के लिए आवेदन किया जाता है तब राशि का परिमाण धारा 140 के लिए संदर्भित दायित्व से कम नहीं हो सकता है। यद्यपि आश्रितता का नुकसान

न हो। याची यदि विधिक प्रतिनिधि है तो वह मुआवजे का हकदार होगा, जिसकी राशि अधिनियम की धारा 140 से आने वाले दायित्व से कम नहीं होगी। [पैरा 16] [596-सी-डी]

सिविल अपीलीय अधिकरिता 2007 की सिविल अपील सं. 1702

कलकत्ता उच्च न्यायालय का एफ. एम. ए. सं. 2885/2002 का अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 12.11.2003 के विरुद्घ।

जयंत भूषण, (ए. सी.) राम इकबाल रॉय और सरला चंद्र, अपीलार्थी की ओर से।

एस. एल. गुप्ता, बलदेव कृष्ण, आर. ए. गुप्ता और गुडविल इंडीवर, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया।

डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में एक रोचक प्रश्न अंर्तवलित है। कलकता उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में यह अभिनिर्णित किया कि हालांकि अपीलकर्ता, बाटा कृष्ण मंडल की एक विवाहित बेटी है (जिसे इसके बाद

मृतक के रूप में संदर्भित किया गया है) जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (संक्षेप में अधिनियम) के संदर्भ में एक क्लेम याचिका बनाए रख सकती है, यद्यपि वह किसी भी मुआवजे की हकदार नहीं थी क्योंकि वह मृतक पर निर्भर नहीं थी।

3. तथ्यात्मक स्थिति निर्विवाद है और इसके लिए एक संक्षिप्त संदर्भ की आवश्यकता है

4. 11.5.1998 को मृतक ने एक वाहन दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी और उल्लघंन करने वाला वाहन, एक मिनी ट्रक पंजीकरण एब्ल्यू.बी.-29/0185 जो प्रत्यर्थी संख्या 2 का था। चूंकि मृतक का कोई अन्य विधिक उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए मुआवजे का दावा करते हुए एक याचिका दायर की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 (जिसे इसके बाद बीमाकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसके साथ उल्लंघनकारी वाहन बीमा का विषय था, ने यह रुख अपनाते हुए एक लिखित कथन दायर किया कि चूंकि दावेदार मृतक पर निर्भर नहीं था, इसलिए किसी भी मुआवजे का भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं था। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, तामलुक, जिला मिदनापुर (संक्षेप में न्यायाधिकरण) ने बीमाकर्ता के रुख को स्वीकार करते हुए क्लेम याचिका को खारिज कर दिया।

5. न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण की शुद्धता को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा कि अपील में कोई गुणागुण नहीं है और इसे खारिज कर दिया। और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि एक विवाहित बेटी को अधिनियम की धारा 166 में प्रकट होने वाली विधिक प्रतिनिधि अभिव्यक्ति में शामिल किया जा सकता है, लेकिन वह तब तक किसी भी मुआवजे की हकदार नहीं होगी, जब तक कि वह मृतक पर आश्रित न हो। ''विधिक प्रतिनिधि" शब्द को अधिनियम या पश्चिम बंगाल मोटर वाहन नियम, 1989 (संक्षेप में ''नियम") में परिभाषित नहीं किया गया है।

इसलिए इसका व्यापक अर्थ, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में सी. पी. सी.) की धारा 2 (11) के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

6. जब मामला प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए सुनवाई में आया तब श्री जयंत भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील से न्यायमित्र के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में कथन किया है कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अति तकनीकी है। भले ही कोई आश्रिता न हो, संपदा को और एक ऐसे व्यक्ति नुकसान होता है जो एक विधिक प्रतिनिधि है लेकिन

आश्रित नहीं है, वह अभी भी संपत्ति का लाभार्थी हो सकता है। इसलिए यह कथन किया गया कि एक यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

7. बीमाकर्ता के विद्वान वकील ने न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

8. अधिनियम की धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (इसके बाद पुराना अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 110 के समान है और यह निम्नानुसार हैः

"मुआवजे के लिए आवेदनः - (1) धारा 165 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है।

(क) उस व्यक्ति द्वारा जिसे क्षति पहुँचाई है; या

(ख) संपत्ति के स्वामी द्वारा; या

(ग) जहाँ दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है, तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा या

(घ) जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा

मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा, जैसा भी मामला हो।

परन्तु कि जहाँ मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि मुआवजे के लिए ऐसे किसी भी आवेदन में शामिल नहीं हुए हों, वहां आवेदन सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके फायदे के लिए किया जाएगा। जिन्हें विधिक प्रतिनिधि के रूप में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उत्तरवादी के रूप में आवेदन में शामिल किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आवेदन दावेदार के विकल्प पर या तो दुर्घटना कारित होने वाले क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले क्लेम न्यायाधिकरण समक्ष या ऐसे क्लेम न्यायाधिकरण समक्ष जिसकी स्थनीय अधिकारिता के भीतर दावेदार निवास करता है या व्यवसाय करता है या उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उत्तरवादी निवास करता है, और आवेदन, ऐसे प्रारूप और विवरण अनुसार, जैसा कि विहित है, प्रस्तुत किया जायेगा:

परन्तु जहां धारा 140 के तहत मुआवजे के लिए कोई दावा ऐसे आवेदन में नहीं किया जाता है वहां उस आवेदन

में आवेदक के हस्ताक्षर से ठीक पूर्व इस आशय का एक पृथक कथन होगा।

***** **** **** ****

(4) क्लेम न्यायाधिकरण धारा 158 की उपधारा (6) के अंतर्गत दुर्घटना बाबत अग्रेषित की गई कोई रिपोर्ट को इस अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए आवेदन के रूप में समझेगा।"

9- अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के संदर्भ में मृत्यु के मामले में, मृतक के सभी या कोई भी विधिक प्रतिनिधि मुआवजे के हकदार हो जाते हैं और ऐसा कोई भी विधिक प्रतिनिधि क्लेम याचिका दायर कर सकता है। उक्त उप-धारा के परंतुक में यह स्थिति स्पष्ट की गई है कि जहां सभी विधिक प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, वहां उन विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करके मृतक के विधिक प्रतिनिधियों की ओर से आवेदन किया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण न्यायोचित था कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 166 के संदर्भ में एक क्लेम याचिका बनाए रख सकता है।

10. अधिनियम की धारा 168 इस प्रकार हैः-

''दावा न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय: - धारा 166 के अधीन किये गये मुआवजे के आवेदन की प्राप्ति पर क्लेम अधिकरण बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् (जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता भी है।) यथास्थिति, दावे की या दावों में से प्रत्येक की जांच करेगा तथा धारा 162 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिनिर्णय देगा, जिसमें प्रतिकर की उतनी रकम अवधारित होगी, जितनी उसे न्यायसंगत प्रतीत होती है तथा वह व्यक्ति या वे व्यक्ति विनिर्दिष्ट होगें, जिन्हें प्रतिकर दिया जायेगा और अधिनिर्णय देते समय क्लेम अधिकरण व रकम विनिर्दिष्ट करेगा जो यथा स्थिति बीमाकर्ता द्वारा या उस वाहन के जो दुर्घटना में अंर्तग्रस्त था, स्वामी या ड्राइवर द्वारा अथवा उन सब या उनमें से किसी के द्वारा दी जायेगी:

परन्तु जहां ऐसे आवेदन में किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तताः के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा किया गया है वहां ऐसा दावा ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में प्रतिकर के लिए कोई अन्य दावा (चाहे वह

ऐसे आवेदन में या अन्यथा किया गया है) अध्याय 10 के उपबंधों के अनुसार निपटाया जायेगा।

(2) दावा अधिकरण अधिनिर्णय की प्रतियां संबंधित पक्षकारों को शीघ्र ही और किसी भी दशा में अधिनिर्णय की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर परिदत करने की व्यवस्था करेगा।

(3) जहां इस धारा के अधीन कोई अधिनिर्णय किया जाता है वहां वह व्यक्ति जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निबंधंनों किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय घोषित करने की तारीख से 30 दिन के भीतर अधिनिर्णित समस्त रकम, ऐसी रिति से जैसी दावा अधिकरण निर्दिष्ट करें, जमा करेगा।"

11. न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह एक निर्णय दे, मुआवजे की राशि अवधारित करे, जो न्यायसंगत और उचित हो और व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करे, जिन्हें ऐसा मुआवजा दिया जाना है। पश्चात्वर्ती भाग उस व्यक्ति द्वारा मुआवजे की पात्रता से संबंधित है जो इसके लिए दावा करता है।

12. सी. पी. सी. की धारा 2 (11) के अनुसार, ''विधिक प्रतिनिधि'' से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जो मृतक की संपदा में हस्तक्षेप करता है और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है या जिस पर वाद लाया जाता है, वहां वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है, जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यायागत होती है, जो इस प्रकार वाद लाया है या उसके विरूद्ध लाया गया है। लगभग समान शब्दों में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 (1) (छ) में विधिक प्रतिनिधि शब्द को परिभाषित किया गया है।

13 इस न्यायालय द्वारा कस्टोडियन ऑफ ब्रांचेज ऑफ बी.ए.एन.सी.ओ. राष्ट्रीय अल्ट्रामेरिनो बनाम नलिनी बाई नाइक, ए. आई. आर. (1989) एस. सी. 1589 के मामले में यह मत दिया है कि धारा 2 (11) सी. पी. सी. में वर्णित परिभाषा की प्रकृति समावेशी और दायरा व्यापक है, जो केवल विधिक उत्तराधिकारी तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्धारित किया कि एक व्यक्ति जो मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए सक्षम विधिक उत्तराधिकारी हो या न हो, वह मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसमें उत्तराधिकारी के साथ-साथ वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो मृतक की संपत्ति

के कब्जे में निष्पादक या प्रशासकों के रूप में स्वत्वः के बिना भी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति ''विधिक प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति में शामिल होगें। जैसा कि - गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम रमनभाई प्रभातभाई व अन्य, ए. आई. आर. (1987) एस. सी. 1690 के मामले में अभिमत है कि एक विधिक प्रतिनिधि जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित है और वहां यह आवश्यक नहीं है कि वह पत्नी, पति, माता-पिता और संतान हो।

14 ऐसे कई कारक हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन दायित्व आश्रिता के अभाव में समाप्त नहीं होता है। क्लेम याचिका दायर करने के अधिकार पर पात्रता के अधिकार के परिपेक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए। मुआवजे की मात्रा का आकलन करते समय, गुणक प्रणाली को आश्रितता के अभाव के कारण लागू किया गया। दूसरे शब्दों में, गुणक एक माप है। हकदार होने के प्रश्न का आकलन करते समय तीन चरण होते हैं। सबसे पहले, उस व्यक्ति का दायित्व जो उत्तरदायी है और उस व्यक्ति का दायित्व जो दायित्व की क्षतिपूर्ति करने वाला है, यदि कोई हो। अगला परिमाणीकरण है और धारा 166 मुख्य रूप से वसूली कार्यवाही की प्रकृति में है। जैसा कि ऊपर

उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 140 के संदर्भ में दायित्व आश्रितता के अभाव के कारण समाप्त नहीं होता है।

15. अधिनियम की धारा 165 भी विवाद पर कुछ प्रकाश डालती है। जिसके स्पष्टीकरण में धारा 140 और 163-ए के तहत दायित्व शामिल है।

16. जहां मुआवजे के लिए आवेदन ऐसे विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है जो आश्रित नहीं है, वहां मुआवजे का आकंलन व उसकी मात्रा अधिनिमय की धारा 140 के लिए संदर्भित दायित्व से कम नहीं हो सकती है। भले ही आश्रिता का कोई नुकसान न हो, दावेदार यदि वह एक विधिक प्रतिनिधि है, तो वह मुआवजे का हकदार होगा, जिसकी मात्रा अधिनियम की धारा 140 से उत्पन्न दायित्व से कम नहीं होगी। उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है, खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। विद्वान न्याय मित्र श्री जयंत भूषण द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए उनकी सराहना को हम दर्ज करते हैं।

अपील स्वीकार की गई।

एस.के.एस.

कपाडिया, न्यायाधिपति

1. हालांकि मैं मेरे सम्मानित भाई डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति द्वारा दिये गये फैसले के प्रस्तावित ऑपरेटिव भाग से सहमत हूॅ, मगर मैं इसके संबंध में स्वयं के कारण देना चाहूंगा।

2. वर्तमान मामले में पीड़ित (मृतक) की विवाहित बेटी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 (2) के तहत क्लेम प्रस्तुत कर अपने पिता की मृत्यु के कारण वैधानिक मुआवजे के लिए प्रार्थना की गई। जैसा कि वर्णित है कि उक्त आवेदन अधिनियम की धारा 140 के तहत किया गया था। उक्त धारा यह स्पष्ट करती है कि ''त्रुटि रहित दायित्वं'वाहन के मालिक पर है न कि सीधे बीमाकर्ता पर। धारा 140 के तहत आदेश पारित करने से पहले न्यायाधिकरण को संतुष्ट होना चाहिए कि दुर्घटना मोटर वाहन से हुई है। जिसके परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता या मृत्यु हो जाती है और ऐसा दावा दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मालिक और बीमाकर्ता के विरूद्ध किया जाता है।

3. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर वर्णित है, पीड़ित की शादीशुदा बेटी द्वारा धारा 140 के तहत अपना क्लेम यह कहते हुए दायर किया कि उसके पांच बच्चे है, जो अवयस्क है, उसका पालन-पोषण उसके चाचा ने किया था, उसकी माता की मृत्यु के पश्चात् मृतक उसी घर में रहता था

जिसमें वह अपने विवाह से पूर्व अपने चाचा के साथ रहती थी। इसलिए वह उक्त अधिनियम की धारा 140 के तहत वैधानिक मुआवजा प्राप्त करने की हकदार है।

4. आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय ने ''मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार" और "मुआवजे का हक" के बीच अंतर को सही ढ़ग से किया है।

उच्च न्यायालय ने यह सही अभिनिर्धारित किया है कि एक विवाहित पुत्री भी विधिक प्रतिनिधि है और वह निश्चित रूप से मुआवजे को प्राप्त करने की हकदार है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि विवाहित पुत्री अपने पिता पर आश्रित नहीं थी। वह अपने पति के साथ उसके घर में रहती थी। इसलिए वह वैधानिक मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं थी। उच्च न्यायालय के मतानुसार क्लेमकर्ता अपने पिता की आय पर आश्रित नहीं थी, इसलिए वह ''बिना त्रुटि के दायित्व" के तहत मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं थी।

5. मेरी राय में इस अधिनियम की धारा 140 में वर्णित ''त्रुटि रहित दायित्व" ''कठोर दायित्व" के सिद्धान्त से भिन्न है। उक्त मुआवजा की राशि पूर्व से तय है, जो कि मृत्यु के मामले मे 50000/- रूपये है। (धारा 140 (2)) यह एक वैधानिक दायित्व है। यह एक ऐसी राशि है, जिसकी

कटौती अधिकरण के अंतिम निर्णय की राशि मे से की जा सकती है। चूंकि यह राशि तय व निश्चित राशि है, इसलिए इसे मृतक की संपदा का हिस्सा माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले अनुसार मृतक कमाई करने वाला व्यक्ति था। वैधानिक क्षतिपूर्ति उसकी संपदा का हिस्सा हो सकती है। उनके विधिक प्रतिनिधि, अर्थात् उनकी बेटी को उनकी संपदा उत्तराधिकार में मिली है। वह उसकी संपदा को उत्तराधिकार में पाने की हकदार थी। इन परिस्थितियों में, वह उक्त अधिनियम की धारा 140 के तहत, ''त्रुटि रहित दायित्व" के तहत मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी थी। मेरी राय उक्त अधिनियम की धारा 140 के तहत केवल ''त्रुटि रहित दायित्व" तक ही सीमित है। उक्त धारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपने आप में एक संहिता है।

6. उपरोक्त अलग-अलग कारणों से, मैं इस निष्कर्ष से सहमत हूं, बिना किसी खर्चे के आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी धनपत माली (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।